न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 26/2018

ओमप्रकाश पुत्र ईमरताराम जाति जाट निवासी गुसाईसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

अपीलान्ट

बनाम

स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

रेस्पोडेन्ट

::अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :—

1— अपीलान्ट की ओर से — श्री फूसाराम जाखड़ अधिवक्ता
2— स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय दिनांक 28.06.2019

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार(राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ के आदेश दिनांक 27.03.2018 से व्यथित होकर यह अपील पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून प्राकृतिक न्याय एवं रूहेदाद मिसल के असुलों के होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेण्ट स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय से मूल रिकार्ड मंगवाया जाकर मामले के गुणावगुण पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस है कि रौही मौजा गुसाईसर बड़ा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खसरा नम्बर 510 रकबा 0.05 हैक्टयर गैर मुमकिन पायतन पर पक्का मकान बनाकर अपीलान्ट को अतिक्रमण का दोषी माना है। जिस पर अदालत मातहत द्वारा धारा 91 का नोटिस दिया जिसका जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका पक्का मकान ग्राम गुसाईसर बड़ा की आबादी भूमि में बनाया हुआ है जिसमें अपीलान्ट पिछले काफी वर्षो से अपने परिवार सहित निवास कर रहा है, जिसमें पानी, बिजली के कनेक्शन लिए हुए है तथा उसके पास इस मकान के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड अथवा अन्य मकान नहीं है। रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा संवत 2074 में अतिक्रमण की रिपोर्ट गैर मुमकिन पायतन के रकबा में की है, वो पूर्णतया गलत एवं निराधार एवं बिना मौका निरीक्षण किये, बिना अपीलान्ट को नोटिस दिए, बिना उसकी उपस्थिति में घर बैठ कर राजनैतिक द्वेषतावश पर करवाई गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर ही भू.अ.नि. को दिनांक 14.3.18 को आदेश दिया कि जवाब में अंकित तथ्यों की जांच कर विस्तृत जांच रिपोर्ट दिनांक 27.03.18 से पूर्व भिजवाई जावे। लेकिन भू.अ.नि. द्वारा न तो जवाब में अंकित तथ्यों की जांच की न ही मौके पर आये और न ही अपीलान्ट को कोई सूचना दी। केवल मात्र खाना पूर्ति कर दिनांक 27.3.18 को तहसील में बैठ कर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

जवाब प्रस्तुत कर दिया। अदालत मातहत ने जब भू.अ.नि. को स्पष्ट आदेश दिया था तो उस आदेश की पालना किए बिना, बिना मौका निरीक्षण किए तथा बिना जांच किए कि उक्त मकान आबादी भूमि में आता है अथवा उससे बाहर है, अन्य कितने मकान है, जो आबादी क्षेत्र से बाहर है एवं अन्य कोई मकान तो नहीं है अथवा उक्त मकान गैर मुमकिन पायतन भूमि में बनाया हुआ है अथवा अन्य जगह बनाया हुआ है। अदालत मातहत ने इस अन सुलझे हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो इन क्यूरियम की तारीफ में आता है। अदातल मातहत का अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व यह दायित्व था कि भू.अ.नि. के द्वारा जब विस्तृत जांच रिपोर्ट अपीलान्ट की उपस्थिति में नहीं जारी की तो पुनः भू.अ.नि. से अपीलान्ट की उपस्थिति में जवाव में अंकित तथ्यों की जांच रिपोर्ट मंगवाते एवं जांच रिपोर्ट आने के पश्चात साक्ष्य व सबूत लेकर विधि सम्मत निर्णय पारित करते परन्तु अदालत मातहत ने राजनैतिक द्वेषता वंश एवं दबाव में आकर अपीलान्ट के रिहायशी मकान जो कि बहुत पुराना बना हुआ है, को संवत 2074 में ही कब्जा करके निर्मित करने का आदेश दिया है वो पूर्णतया गलत एवं निराधार है। पटवारी हल्का द्वारा खसरा नम्बर 510 का कभी सीमाज्ञान नहीं किया, तो फिर अपीलान्ट को किस आधार पर उक्त रकबा का अतिक्रमी मानकर अदालत मातहत ने कानूनी गलती की है। जो कतई गलत एवं गैर कानूनी होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि पटवारी हल्का गुसाईसर द्वारा धारा 91 के तहत इस आश्य की रिपोर्ट पेश की गई कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम गुसाईसर के खसरा नम्बर 510 तादादी 6.97 हैक्टयर गैर मुमकीन पायतन भूमि में से 0.04 हैक्टयर **भूमि पर संवत 2074 में नाजायज कब्जा कर पक्का मकान बनाकर** अतिक्रमण किये जाने पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा गैर सायल को नोटिस भेजा गया। गैर सायल को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया। गैर सायल का जवाब है कि गैर सायल ने खसरा नम्बर 510 की भूमि में से 0.04 हैक्टयर पर अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही मकान बनाया है अप्रार्थी का यह भूखण्ड ग्राम की आबादी में है। अपीलार्थी के निवेदन पर उसके जवाब में अंकित तथ्यों की भू.अ.नि. से जांच रिपोर्ट ली गई। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर गैर मुमकीन पायतन भूमि पर **नाजायज कब्जा कर पक्का मकान बनाकर** अतिक्रमण किये जाने पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित कर 50 गुणा तावान की शास्ति से आरोपित किया गया व भौतिक रूप से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लिया गया है। अपीलार्थी द्वारा सरकारी जमीन को हड़पने व निजी लाभ प्राप्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की है। अप्रार्थी भूमिधारी होने के कारण सरकारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने व सरकारी भूमि की हिफाजत, साज-सम्भाल रखने का दायित्वाधिकारी है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी का सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण को हटवाने के आदेश दिये है, जो न्याय संगत है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी हल्का ने गैर सायल को अतिक्रमी मानते हुवे रिपोर्ट पेश की है। इस आधार पर गैर सायल के विरूद्ध भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गैर मुमकीन पायतन पर अवैध रूप से **पक्का मकान** बनाकर कब्जा कर अतिक्रमण किया है, के विरूद्ध अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश पारित किया जाकर लगान का 50 गुणा शास्ति आरोपित की गई है। राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत भूमि गैर मुमकीन पायतन दर्ज है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादगत भूमि गैर मुमकीन पायतन दर्ज भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अनाधिकृत कब्जा मानते हुवे बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये है। ऐसी अवस्था में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को विधि विरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता। मामले के अद्योपरान्त अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा गैर मुमकीन पायतन भूमि पर अनाधिकृत **पक्का मकान** बनाकर कब्जा किये जाने के कारण ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा बेदखली के आदेश पारित किये है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलान्ट गैर मुमकीन पायतन भूमि पर काबिज नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् होने के कारण हमें इसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। लिहाजा उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

6. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय को लौटाई जावें।

(ए.एच. गौरी)
अति.जिला कलक्टर,(प्रशा.)
बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर